



Neutral Citation No. 2026:AHC:21805

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 368 / 2026

शिव कुमारी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : लक्ष्मण प्रसाद ओझा प्रवीण कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज अपने अध्यक्ष के माध्यम से] को यह निर्देश/आदेश दिया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 1537 2022 (अजय कुमार बनाम शिव कुमारी) का निर्णय करे। यह पुनरीक्षण तहसीलदार कुंडा जिला- प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 30.05.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत दायर किया गया है और यह मुकदमा लंबे समय से लंबित है अतः इसका निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर यथाशीघ्र किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत दायर किया गया पुनरीक्षण (जिसमें याचिकाकर्ता को विपक्षी बनाया गया है) दिनांक 6.6.2022 से ही प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यह दर्शाने के लिए कि मामले की कार्यवाही शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रही है मुकदमा की आदेशपत्र की प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि लंबित पुनरीक्षण के शीघ्र निस्तारण के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश... प्रयागराज स्थित संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 1537/2022 (अजय कुमार बनाम शिव कुमारी) का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संहिता 2006 की धारा 210 के तहत पक्षों को विधि के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत शीघ्रतापूर्वक अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करे।

5. तदनुसार यह रिट याचिका अंतिम रूप से *निस्तारित* की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026

रमीज़